427

<u>सर्वोच्च प्राथमिकता/समयबद्व/द्वारा फैक्स/ई–मेल</u>

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्या:दस–334(वरिष्ठता)–2013 दिनांक:जुलाई 23, 2014

सेवा में,

1– समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र, उ0प्र0।

<u>2– समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, जनपदीय/अजनपदीय शाखा/इकाई, उ0प्र0।</u>

विषय: आरक्षी स0पु0 से मुख्य आरक्षी स0पु0 के पद पर वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति प्रदान करने हेतु बोर्ड प्रपत्र–11 भरने के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना उ0प्र0 के पत्रांक डीजी–चार–110(242) 2008 दिनांक 07.07.2014 के माध्यम से सदस्य सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक पीआरपीबी–तीन–1(1) 2014 दिनांक 02.07.2014(छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करें, जिसके द्वारा बोर्ड प्रपत्र–11(पृष्ठ 1 से 4 तक) तथा इसे भरने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश उपलब्ध कराया गया है।

2. उल्लेखनीय है कि पुलिस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 05.06.2014 द्वारा वर्ष 1972 से 1977 बैच तक के भर्ती आरक्षी सशस्त्र पुलिस एवं मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस(विशेष श्रेणी) के 2127 कर्मियों की वर्षवार(बैच) अनन्तिम सूची निर्गत करते हुये अन्तिम सूची जारी करने हेतु अद्यावधिक सूचना मॉगी जा चुकी है।

3. अतः अनुरोध है कि सूची में अंकित अपने अधीनस्थ नियुक्त वर्ष 1972 से 1977 बैच तक के भर्ती आरक्षी सशस्त्र पुलिस एवं मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस(विशेष श्रेणी) कर्मियों की चरित्र पंजिकाऐं अद्यावधिक करा ली जाय तथा एक राजपत्रित अधिकारी के निर्देशन में टीम गठित कर सेवाभिलेखों का परीक्षण सुसंगत नियमों के आलोक में कराकर बोर्ड प्रपत्र–11 में सूचनाऐं तैयार करा ली जाय।

4. पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्गत अनन्तिम सूची के परिपेक्ष्य में जनपद/इकाई स्तर से प्राप्त सूचना के आधार पर अन्तिम सूची निर्गत करने के उपरान्त भर्ती बोर्ड द्वारा प्रोन्नति की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु तिथि निर्धारित करने की सूचना प्राप्त होने पर तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु यथा समय अवगत कराया जायेगा। प्रकरण समयबद्ध/महत्वपूर्ण है अतः इसे सर्वोच्च वरियता प्रदान की जाय।

<u>संलग्नकः यथोपरि (06 वर्क)।</u>

23.7.14

(कवीन्द्र प्रताप सिंह)
पुलिस अधीक्षक,कर्मिक
उत्तर प्रदेश।

<u>संख्या तथा दिनांक वही।</u>

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना उ0प्र0 लखनऊ को उनके उक्त पत्र के सन्दर्भ में सादर सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपर्युक्तानुसार कार्यवाही अविलम्ब पूर्ण करने हेतु सर्वसम्बन्धित को अपने स्तर से भी निर्देशित करने की कृपा करें।

2. पुलिस महानिरीक्षक, तकनीकी सेवाऐं चतुर्थ तल, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस पत्र को संलग्नक सहित उ0प्र0 पुलिस वेबसाइट पर पदोन्नति की कार्यवाही पूर्ण होने तक प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नकः यथोपरि (06 वर्क)।</u>

3. सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ को उनके उक्त पत्र के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

4. समस्त विभागाध्यक्ष, अजनपदीय शाखा/इकाई, उ0प्र0 को उपर्युक्तानुसार कार्यवाही अविलम्ब पूर्ण करने हेतु सर्वसम्बन्धित को अपने स्तर से भी निर्देशित करने की कृपा करें।

5. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोन, उ0प्र0 को उपर्युक्तानुसार कार्यवाही अविलम्ब पूर्ण करने हेतु सर्वसम्बन्धित को अपने स्तर से भी निर्देशित करने की कृपा करें।

गोपनीय/आवश्यक

5317

28/3-7-14

उत्तर प्रदेश सरकार

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड

19 सी, तुलसी गंगा कॉम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226001
दूरभाष/फैक्स: 0522-2235752 फैक्स- 0522-2235806
Web-www.uppbpb.gov.in

दिनांक : जुलाई 02 ,2014

संख्या: पीआरपीबी-तीन-1(1)-2014

सेवा में,

पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ।

कृपया अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को सम्बोधित एवं पुलिस उप महानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को पृष्ठांकित पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के पत्र संख्या-डीजी-चार-110(248)-2008 दिनांकित 19-06-2014 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा आरक्षी स0पु0 से मुख्य आरक्षी स0पु0 के पद पर प्रोन्नति हेतु भर्ती/चयन वर्ष-2012-2013 की कुल 1996 रिक्तियों का अधियाचन उपलब्ध कराया गया है।

2- उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2008 (यथा संशोधित) के नियम-5(2) के अनुसार मुख्य आरक्षी के शत प्रतिशत रिक्तियों की भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये पात्र अभ्यर्थियों में ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा की जायेगी। संगत सेवा नियमावली के नियम-17(क)(ख) तथा सपठित शासनादेश संख्या: 3635/छ-पु-1-13-115/08 दिनांक 09-01-2014 के अनुसार

(1) नियमावली के नियम-17(क) एवं (ख) में वर्षवार (बैचवार) पदोन्नति किये जाने का प्रावधान है। यहां वर्षवार से तात्पर्य भर्ती तिथि के "वर्ष (बैच)" से होगा।

(2) नियमावली के नियम-22 में प्रावधानित "किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकार सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी" के स्थान पर दिनांक 01-01-1970 से 31-12-1981 के मध्य भर्ती समस्त आरक्षियों की ज्येष्ठता को उपरोक्त नियमावली के नियम-22 के अन्तर्गत ज्येष्ठता नियमावली-1991 के अनुसार अवधारित करने से अवमुक्त किये जाने का प्रावधान है। यह शिथिलीकरण केवल दिनांक 01-01-1970 से 31-12-1981 के मध्य भर्ती आरक्षियों के सम्बन्ध में ही प्रभावी होगा।

3- आरक्षी स0पु0 से मुख्य आरक्षी स0पु0 के पद पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा चयन हेतु विभागीय चयन समिति के समक्ष निम्नांकित अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे:-

(1) तत्समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार अर्ह अभ्यर्थियों की निर्विवादित बैचवार ज्येष्ठता सूची।

(2) उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 (यथा संशोधित) के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा भर्ती के वर्ष-2012 के लिये ज्येष्ठतम पात्र अभ्यर्थियों की पात्रता सूची।

आवश्यक
HC ई
03/7/14
AC-V

बोर्ड प्रपत्र-11 भरने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश

महात्वपूर्ण :- "बोर्ड प्रपत्र-11" को सावधानीपूर्वक सेवा अभिलेखों के आधार पर भरा जाय।

प्रपत्र का कालम	भरने के सम्बन्ध में निर्देश
1	इस कालम में क्र0सं0 अंकित की जायेगी। क्र0सं0 आरोही क्रम में अंकित की जायेगी।
2	इस कालम में अभ्यर्थी से सम्बन्धित ज्येष्ठता सूची का क्रमांक अंकित किया जायेगा।
3	इस कालम में अभ्यर्थी का पी0एन0ओ0 अंकित किया जायेगा।
4	इस कालम में अभ्यर्थी के सेवा अभिलेखों के अनुसार नाम अंकित किया जायेगा।
5	इस कालम में अभ्यर्थी के सेवा अभिलेखों के अनुसार पिता का नाम अंकित किया जायेगा।
6	इस कालम में अभ्यर्थी के सेवा अभिलेखों के अनुसार जन्मतिथि अंकित की जायेगी।
7	इस कालम में कैडर अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: आरक्षी सशस्त्र पुलिस
8	इस कालम में अभ्यर्थी की नियुक्ति के जनपद/इकाई का नाम अंकित किया जायेगा।
9	इस कालम में अभ्यर्थी की नियुक्ति के जनपद/इकाई से सम्बन्धित परिक्षेत्र/अनुभाग का नाम अंकित किया जायेगा।
10	इस कालम में अभ्यर्थी की भर्ती का दिनांक अंकित किया जायेगा।
11	इस कालम में अभ्यर्थी की आरक्षी स0पु0 के पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि अंकित की जायेगी। **मौलिक नियुक्ति की तिथि-** का आशय अभ्यर्थी के आरक्षी स0पु0 के पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी अथवा यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी नियुक्ति की तिथि से है।
12 13 14	**सेवा अवधि-** का आगणन करने हेतु भर्ती/चयन वर्ष की प्रथम जुलाई को अभ्यर्थी की मौलिक नियुक्ति की तिथि घटाने पर उस भर्ती/चयन वर्ष के लिये कुल सेवा अवधि निकाली जायेगी।
15 16 17 18	इन कालमों में क्रमश: भर्ती/रिक्ति का वर्ष, इसके पूर्ववर्ती 10 वर्षो के वार्षिक गोपनीय मंतव्यों की अवधि एवं वार्षिक गोपनीय मंतव्य की श्रेणी अंकित की जायेगी। उदाहरणार्थ : यदि किसी अभ्यर्थी का वर्ष 2003 का वार्षिक गोपनीय मंतव्य अलग-अलग अवधि के लिए दो अधिकारियों द्वारा अंकित किया गया है तो उसका विवरण निम्नवत अंकित किया जायेगा:- 2003- 01-01-2003 से 30-04-2003 अति उत्तम 01-05-2003 से 31-12-2003 उत्कृष्ट
19	इस कालम में यदि किसी अभ्यर्थी का किसी वर्ष का वार्षिक गोपनीय मंतव्य प्रतिकूल अंकित किया गया हो तो उसे अभ्यर्थी को संसूचित करने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
20	इस कालम में अभ्यर्थी द्वारा प्रतिकूल प्रविष्टि के विरूद्ध प्रत्यावेदन/अपील देने का दिनांक अंकित किया जाय।
21	इस कालम में अभ्यर्थी के प्रतिकूल प्रविष्टि के विरूद्ध लम्बित प्रत्यावेदन/अपील की वर्तमान स्थिति अंकित की जायेगी। जैसे- लम्बित /अस्वीकृत /स्वीकृत

22	इस कालम में भर्ती वर्ष के पूर्ववर्ती 10 वर्षो की सत्यनिष्ठा की निम्नांकित श्रेणी अंकित की जायेगी:- प्रमाणित, अप्रमाणित अथवा रोकी गई
23	इस कालम में यदि किसी अभ्यर्थी की सत्यनिष्ठा अप्रमाणित अथवा रोकी गई है तो उससे अभ्यर्थी को संसूचित करने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
24	इस कालम में अभ्यर्थी द्वारा अप्रमाणित अथवा रोकी गई सत्यनिष्ठा के विरूद्ध प्रत्यावेदन/अपील देने का दिनांक अंकित किया जायेगा ।
25	इस कालम में अभ्यर्थी के अप्रमाणित या रोकी गई सत्यनिष्ठा के विरूद्ध लम्बित प्रत्यावेदन/अपील की वर्तमान स्थिति अंकित की जायेगी । जैसे- लम्बित /अस्वीकृत /स्वीकृत
26	इसमें दण्डादेश की संख्या अंकित की जायेगी।
27	इसमें दण्डादेश का दिनांक अंकित किया जायेगा।
28	इसमें घटना का वर्ष अंकित किया जायेगा।
29	इसमें दण्ड की प्रकृति अंकित की जायेगी। जैसे- पदच्युत करना / सेवा से हटाना आदि।
30	इसमें दण्डादेश के विरूद्ध प्रत्यावेदन /अपील प्रेषित करने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
31	इसमें दण्डादेश के विरूद्ध प्रत्यावेदन/अपील की वर्तमान स्थिति अंकित की जायेगी । जैसे- लम्बित /अस्वीकृत /स्वीकृत
32	इसमें दण्डादेश की संख्या अंकित की जायेगी।
33	इसमें दण्डादेश का दिनांक अंकित किया जायेगा।
34	इसमें घटना का वर्ष अंकित किया जायेगा।
35	इसमें दण्ड की प्रकृति अंकित की जायेगी। जैसे- अर्थदण्ड, परिनिन्दा प्रविष्टि आदि।
36	इसमें दण्डादेश के विरूद्ध प्रत्यावेदन /अपील प्रेषित करने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
37	इसमें दण्डादेश के विरूद्ध प्रत्यावेदन/अपील की वर्तमान स्थिति अंकित की जायेगी । जैसे- लम्बित /अस्वीकृत /स्वीकृत
38	इसमें निलम्बन का आदेश संख्या व दिनांक अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: न-39/2012 दिनांक 30-10-2013
39	इसमें निलम्बन के आरोप का संक्षिप्त विवरण अधिकतम 20 शब्दों में अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: अवकाश से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होने के सम्बन्ध में।
40	इसमें अपराध संख्या/धारा/थाना/जनपद अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: 234/96, धारा 323/324 आदि, थाना-गाजीपुर, लखनऊ
41	इसमें आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किये जाने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
42	इसमें यदि न्यायालय का कोई निर्णय हो तो निर्णय का संक्षिप्त विवरण व दिनांक अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: वाद मा0 न्यायालय एडीजे-5, लखनऊ के यहां एस0टी0 नं0-399/98 पर विचाराधीन है, जिसमें अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 31-10-2013 नियत है।
43	इसमें जॉच संगठन का नाम अंकित किया जायेगा। जैसे- विभागीय, सी0बी0सी0आई0डी0 आदि।
44	इसमें आरोप का संक्षिप्त विवरण अधिकतम 20 शब्दों में अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: अवकाश से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के सम्बन्ध में।

45	इसमें अभ्यर्थी को आरोप पत्र प्राप्त कराने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
46	इसमें अभ्यर्थी के चयन, प्रोन्नति या सेवा के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय या राज्य लोक सेवा अधिकरण के आदेश का संक्षिप्त विवरण अधिकतम 20 शब्दों में अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: निलम्बन आदेश दिनांक 30-10-2013 अग्रिम आदेशों तक स्टे है।
47	इसमें वाद संख्या एवं मा0 न्यायालय के आदेश का दिनांक अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच, रिट याचिका संख्या: 3570(एस/एस)/2013, दिनांक 10-11-2013

<u>सामान्य निर्देश :-</u>

1- प्रत्येक कालम को स्पष्ट रूप से भरा जायेगा यदि किसी कालम में कोई सूचना अंकित नहीं की जानी है तो उस कालम में स्पष्ट रूप से शून्य अंकित किया जाय।

2- उक्त सूचना A3 पेज पर Landscape में माइक्रोसाफ्ट एक्सेल में Kruti Dev 010 फान्ट में ही तैयार की जाय।

3- एक लाइन में एक ही अभ्यर्थी की सूचना अंकित की जाये। Lines/cells को merge न किया जाय।

4- एक ही cell में नई लाइन में लिखने हेतु Alt+Enter का प्रयोग किया जाय।

5- अपूर्ण प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(3) शासनादेश संख्या: 1194/का-1-2000-13/15/91 दिनांकित 19-05-2001 के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों की सम्पूर्ण चरित्र पंजिकायें, अनुशासनिक कार्यवाही की वास्तविक स्थिति व अनुशासनिक कार्यवाहियां, वार्षिक प्रतिकूल प्रविष्टियों के विषय में अपील/प्रत्यावेदनों के प्रस्तुत किये जाने व उनके निस्तारण की सम्पूर्ण सूचनायें तथा न्यायालय के आदेशों आदि की सूचना।

4- मुख्य आरक्षी स0पु0 के पद पदोन्नति हेतु अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति हेतु चयन के लिए भर्ती के वर्ष-2012 की बैचवार पात्रता सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों का विवरण उपलब्ध कराने हेतु संलग्न प्रारूप **(बोर्ड प्रपत्र-11)** एवं उसे भरने हेतु दिशा निर्देश संलग्न कर प्रेषित है। अनुरोध है कि कृपया इस प्रपत्र के अनुसार भर्ती के वर्ष के लिये पात्र अभ्यर्थियों की बैचवार पात्रता सूची **(साफ्ट कापी एवं हार्ड कापी में)** अर्ह अभ्यर्थियों की निर्विवादित बैचवार ज्येष्ठता सूची एवं पात्र अभ्यर्थियों की चरित्र पंजिकायें बोर्ड को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

संलग्नक- यथोपरि

(अनिल अग्रवाल)
सदस्य सचिव,
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।

आरक्षी सशस्त्र पुलिस से मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस के पद पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति हेतु चयन के लिये पात्रता सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी का सेवा विवरण
भर्ती/रिक्ति का वर्ष–2012

क0स0	ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	पी0एन0ओ0 नं0	कर्मी का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	कैडेर	वर्तमान तैनाती		भर्ती की तिथि	आरक्षी स0पु0 के पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि	सेवा अवधि (चयन वर्ष की 01 जुलाई को)			वार्षिक गोपनीय मन्तव्य (भर्ती/रिक्ति के वर्ष के पूर्ववर्ती 10 वर्षों के लिए)							सत्यनिष्ठा (भर्ती/रिक्ति के वर्ष से पूर्ववर्ती 10 वर्षों के लिए)				दीर्घ दण्ड–नियम14(1) (भर्ती/रिक्ति के वर्ष के पूर्ववर्ती 10 वर्षों के लिए)						लघुदण्ड–नियम 14(2) (भर्ती/रिक्ति के वर्ष के पूर्ववर्ती 10 वर्षों के लिए)						वर्तमान निलम्बन		लम्बित अपराधिक विवरण			प्रचलित अनुशासनात्मक कार्यवाही/जाँच (विभागीय,सीबीसीआईडी/भ्र0नि0संगठन/ईओडब्लू/सर्तकता अधिष्ठान)			अभ्यर्थी के विरूद्ध दण्ड/अनुशासनिक कार्यवाही/अभियोग/प्रोन्नति आदि के सम्बन्ध में मा0न्या0/ अधिकरण के आदेश	
							जनपद/इकाई	परिक्षेत्र/अनुभाग			वर्ष	माह	दिन	वर्ष	कब से	कब तक	वार्षिक गोपनीय मन्तव्य की श्रेणी	प्रतिकूल प्रविष्टि संसूचित करने का दिनांक	प्रतिकूल प्रविष्टि के विरूद्ध प्रत्यावेदन/अपील प्रेषित करने का दिनांक	वर्तमान स्थिति (लम्बित/अस्वीकृत/स्वीकृत)	सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र	अप्रमाणित सत्यनिष्ठा संसूचित करने का दिनांक	अप्रमाणित सत्यनिष्ठा के विरूद्ध प्रत्यावेदन/अपील प्रेषित करने का दिनांक	वर्तमान स्थिति (लम्बित/अस्वीकृत/स्वीकृत)	दण्डादेश की सं0	दण्डादेश का दिनाक	घटना का वर्ष	दण्डकी प्रकृति (पदच्युत करना /सेवा से हटाना /वेतनमान में अवनति)	दण्डादेश के विरूद्ध प्रत्यावेदन/अपील प्रेषित करने का दि0	वर्तमान स्थिति (लम्बित/अस्वीकृत/स्वीकृत)	दण्डादेश की सं0	दण्डादेशका दिनाक	घटना का वर्ष	दण्ड की प्रकृति (परिनिन्दा प्रविष्टि/अर्थदण्ड आदि)	दण्डादेश के विरूद्ध प्रत्यावेदन/अपील प्रेषित करने का दिनांक	वर्तमान स्थिति (लम्बित/अस्वीकृत/स्वीकृत)	आदेश संख्या/ दिनांक	निलम्बन के आरोप का संक्षिप्त विवरण (अधिकतम 20 शब्दों में)	अपराध सं0/ धारा/थाना/जनपद	न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किये जाने का दिनांक	न्यायालय का निर्णय व दि0	जाँच संगठन का नाम	आरोप का संक्षिप्त विवरण (अधिकतम 20 शब्दों में)	अभ्यर्थी को आरोप पत्र प्राप्त कराने का दि0	आदेश कासंक्षिप्त विवरण (अधिकतम 20 शब्दों में)	वाद संख्या एव आदेश का दि0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
1		762110772	रामकेवल कुशवाहा	भवानी प्रसाद	04–01–1958	आरक्षी स0पु0	लखनऊ	लखनऊ	20–09–1976	20–10–1977	30	6	12	2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011	1–1–02 1–1–03 1–5–03 1–1–04 1–1–05 1–1–06 1–1–07 1–1–08 1–1–09 1–1–10 1–1–11	31–12–02 30–04–03 31–12–03 31–12–04 31–12–05 31–12–06 31–12–07 31–12–08 31–12–09 31–12–10 31–12–11	अच्छा अति उत्तम उत्कृष्ट अच्छा अच्छा प्रतिकूल अति उत्तम अच्छा अच्छा संतोषजनक अति उत्तम	– – – – – 3–2–07 – – – – –	– – – – – 18–2–07 – – – – –	– – – – – अस्वीकृत – – – – –	प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित अप्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित	– – – – – 3–2–07 – – – – –	– – – – – 18–2–0 7 – – – – –	– – – – – अस्वीकृत – – – – –	पीएफ–04/10	9–4–10	2009	01 वर्ष के लिये न्यूनतम वेतन पर प्रत्यावर्तित	25–6–10	अपील अस्वीकृत	1–द–15/04 2–द–78/07 3–द–35/08 4–द–44/10 5–द–59/11	17–08–04 04–04–07 09–05–08 18–09–10 30–05–11	2003 2006 2008 2010 2011	परिनिन्दा अर्थदण्ड परिनिन्दा परिनिन्दा अर्थदण्ड	26–09–04 – – – –	स्वीकृत दि0 04–11–04 – – – –	न–39/13 दि0 30–10–13	अवकाश से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होने के कारण	234/96 धारा 323/324 आदि थाना–गाजीपुर लखनऊ	2–2–97	वाद मा0 न्यायालय एडीजे–5 लखनऊ के यहां एस0टी0 नं0–399/98 पर विचाराधीन है, जिसमें अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 31–10–13 नियत है।	विभागीय	अवकाश से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के सम्बन्ध में	2–10–13	निलम्बन आदेश दि0 30–10–13 अग्रिम आदेश तक स्टे है।	मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बैंच रिट याचिका सं0–3570(एस/एस)/2013 दि0 10–11–13
2																																														
3																																														

नोटः–

1–उक्त सूचना A3 पेज पर Landscape में माइक्रोसाफट एक्सेल में Kruti Dev 010 Fonts में ही तैयार की जाये।
2–एक लाइन में एक ही अभ्यर्थी की सूचना अंकित की जाये। Lines/Cell को marge न किया जाये।
3–एक ही ब्सस में नई लाइन में लिखने हेतु Alt+Enter का प्रयोग किया जाये।

चरित्र पंजिका लिपिक के हस्ताक्षर
नाम, पद, मुहर

प्रधान लिपिक के हस्ताक्षर
नाम, पद, मुहर

क्षेत्राधिकारी, कार्यालय के हस्ताक्षर
नाम, पद, मुहर

नियुक्ति प्राधिकारी,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
नाम, पद, मुहर